बिहार सरकार

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

पुनः अल्पकालीन निविदा सूचना

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना कार्यालय प्रयोजन के लिए भाड़े पर वाहन लिये जाने के लिए मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा की शर्त्तें निम्न होगी :-

1. वाहन एस.यू.भी. अर्थात इनोवा/टाटा सफारी/स्कार्पियो वातानुकूलित/सामान्य होगा। निविदादाता को वाहन भाड़ा प्रतिमाह की दर से देना होगा। ईंधन, चालक तथा मरम्मती आदि अन्य कोई खर्च विभाग के द्वारा देय नहीं होगा। वाहन खराब होने पर वाहन मालिक को दूसरा वाहन उपलब्ध कराना होगा अन्यथा आनुपातिक रूप से देय राशि की कटौती कर ली जायेगी।
2. वाहन चालक के पास वाहन चलाने का अद्यतन/नवीकृत व्यवसायिक ड्राईविंग लाईसेंस होना अनिवार्य होगा तथा इसकी छायाप्रति संलग्न करना होगा।
3. वाहन का निबंधन वर्ष 2016 के बाद का हो। वाहन व्यवसायिक रूप से निबंधित हो, निबंधन–पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. निविदा के साथ अद्यतन पथकर भुगतान का प्रमाण–पत्र, परमिट, दुरूस्ती प्रमाण–पत्र (fitness Certificate) एवं प्रदूषण प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. निविदा के साथ जमानत के रूप में उप सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना के पदनाम से ₹ 30,000/– (तीस हजार) रूपये मात्र का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना आवश्यक होगा, जिसे निविदा अस्वीकृत होने की स्थिति में वापस लौटा दिया जायेगा।
6. निविदा के साथ आयकर, पैन नंबर की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
7. संबंधित संस्था/निविदादाता को इस आशय का शपथ–पत्र देना होगा कि उनका नाम काली सूची में दर्ज नहीं है।
8. तकनीकी तथा वित्तीय निविदा अलग–अलग मुहरबंद लिफाफे में उप सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना कमरा संख्या–326, तीसरा तल्ला, विकास भवन, बेली रोड, पटना–800015 के पते पर भेजना होगा, जो दिनांक **18 दिसम्बर, 2019** अपराहन **3:00** बजे तक प्राप्त हो जाय। उसी दिन अपराह्न 4:00 बजे निविदा समिति के समक्ष निविदा खोली जायेगी। निविदा खोले जाने के समय निविदादाता स्वयं अथवा उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।
9. वित्तीय निविदा निम्नलिखित प्रपत्र में दी जायेगी:–

वाहन का प्रकार	वातानुकूलित/सामान्य	वाहन का भाड़ा प्रतिमाह ईंधन चालक एवं सभी प्रकार के कर सहित (2000 किलोमीटर) तक	वाहन का भाड़ा प्रतिमाह ईंधन चालक एवं सभी प्रकार के कर सहित (1500 किलोमीटर) तक	1500/2000 कि.मी. से अधिक परिचालन पर प्रति कि.मी. देय राशि
1	2	3	4	5

10. वाहन भाड़े का भुगतान संधारित लॉग बुक तथा वाहन में लगे मीटर में दर्ज किलोमीटर के आधार पर किया जायेगा।

11. सफल निविदादाता के द्वारा यदि निर्धारित समय पर वाहन उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इसी दर पर अन्य निविदादाताओं/संस्था के वाहन प्राप्त किया जा सकेगा।

12. इस निर्धारित दर का उपयोग अन्य प्रयोजनों पर किये जाने वाले वाहनों पर भी किया जा सकता है तथा अन्य प्रतिष्ठान/व्यक्तियों से भी आवश्यकता पड़ने पर निधारित दर पर वाहन लिया जा सकेगा।

13. काली सूची में दर्ज प्रतिष्ठान का निविदा स्वीकृति नहीं किया जायेगा।

14. विहित शर्त्तें पूरी करने से संबंधित सम्पुष्टि के रूप में सुसंगत अभिलेख तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

15. किसी भी निविदा को बिना कोई कारण बताये अस्वीकृत करने का अथवा कार्य को एक से अधिक निविदादाताओं के बीच विभाजित करने का विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

(तारानन्द महतो वियोगी)
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग।